<u>सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध</u>

<u>संख्या- 68/2015/488/एक-6-2015-15(24)/12टी.सी.-।</u>

प्रेषक,

राम नारायण,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 18 अगस्त , 2015**

विषय: राजस्व परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद स्थित न्यायालयों के जीर्णोद्धार एवं साज- सज्जा हेतु स्वीकृत धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-503/12-भवन-1/2015, दिनांक 27-01-2015 एवं पत्र संख्या-158/12-भवन-1/2015, दिनांक 28-04-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजस्व परिषद, उ0 प्र0 इलाहाबाद के न्यायालय की साज- सज्जा हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 15.04 लाख को राजकोष में जमा कराये जाने हेतु प्राप्ति लेखाशीर्षक से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत धनराशि लेखार्शीर्षक- 4059-01-800-15-24 से स्वीकृत की गयी है। अत: इस धनराशि को निम्नलिखित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना समीचीन होगा:-

<u>अनुदान संख्या-52</u>

''4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत ।
01 - कार्यालय भवन।
800- अन्य व्यय-
99- वापसियों''

3- अत: प्रकरण में उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कृपया कष्ट करें।

भवदीय,

(राम नारायण)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in